राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर
=====

क्रमांक:- एफ 5§10 §शिलअसं/भू.आ./राजस्व/06/ दिनांक:- मई, 06

आदेश

शासन उप सचिव, राजस्व§ग्रुप-3§ विभाग, राज0जयपुर के पत्र क्रमांक प.2§234§राज/ग्रुप-3/04 दिनांक 27.4.06 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 9.5.06 द्वारा कस्बा सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.बीड़ की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.1.06 के अन्तर्गत कृषि भूमि की डीएलसी दर का 30 प्रतिशत राशि लेकर गर्ल्स कालेज हेतु डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को कीमतन आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि निर्माण आदि संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति के पश्चात ही आरम्भ किया जायेगा।

अतः उक्त स्वीकृति की अनुपालना में कस्बा सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.बीड़ की भूमि राजस्थान भू राजस्व§स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन§ नियम, 1963 के अन्तर्गत निम्न शर्तों पर डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को गर्ल्स कॉलेज हेतु कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। कीमत रु0 22,68,378/- राजकोष में जमा हो चुके है।

तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बरंग हुई रेखांकित भूमि का कब्जा सम्बन्धित को सम्भलावें एवं पालना रिपोर्ट रिकार्ड में आवंटित भूमि का अंकन कर अविलम्ब इस कार्यालय में भिजवावें।

शर्तेः-

1. आवंटित भूमि 30 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई है।
2. भूमि जिस कार्य के लिए आवंटन की गई है उसी कार्य के उपयोग में ली जावेगी।
3. भूमि राज्य सरकार की ही रहेगी।
4. आवंटित भूमि का उपयोग बच्चों के लिए होगा। आवंटन अधिकारी की अनुमति बिना आवंटित भूमि का बेचान/हस्तान्तरण नही किया जावेगा व किराया पर आवंटन अधिकारी की अनुमति के बिना आवंटी नही दे सकेगा। यदि आवंटन अधिकारी हस्तान्तरण की स्वीकृति देता है तो हस्तान्तरिती से नियम-3 के उप नियम-11 के अनुसार अलग से प्रीमियम वसूल होगा।
5. प्रत्येक शर्त के लिए आवंटी बाध्य होगा। इसका इकरार लिखित में देगा।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित भूमि वापिस बिना मुआवजे के सरकार को चली जावेगी।

Sd/-
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 1963-71/राजस्व/06 दिनांक 12 मई, 2006

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, राजस्व {ग्रुप-3} विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर
3. उप खण्ड अधिकारी, सीकर
4. तहसीलदार, सीकर को मय नक्शा ट्रेस के
5. आयुक्त, नगरपरिषद, सीकर
6. चैयरमैन, डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउण्डेशन, मुम्बई,
7. जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
8. रक्षी पत्रावली

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
{अपर जिला कलक्टर, सीकर}

नकल शजरा खसरा 309 वर्ग मीटर
पैमाना 1 cm = 40 मीटर

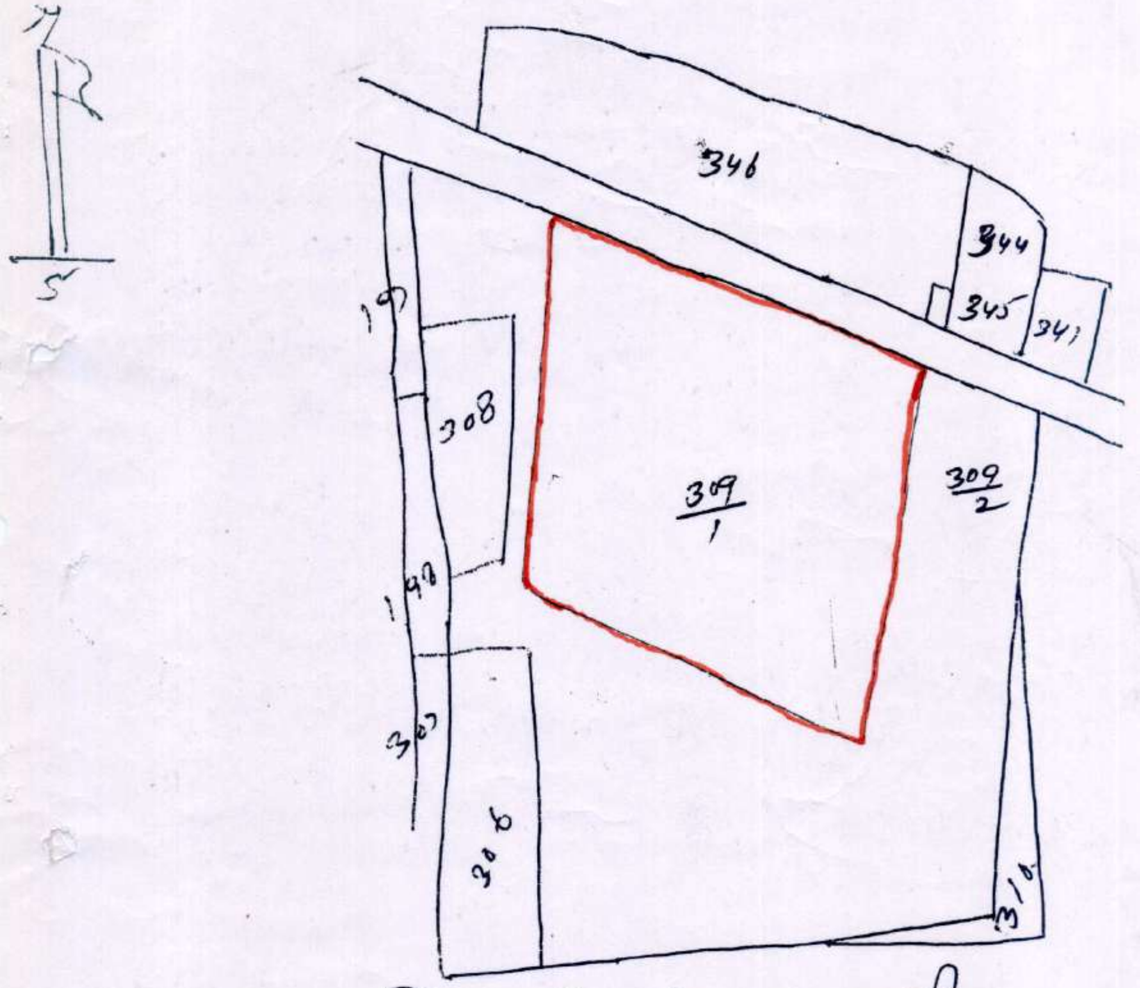

प्रस्तावित भूमि नक्शे में लाल स्याही
से दर्शायी गयी है

10/5/04

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक:- 1963-71 /राजस्व/2006 दिनांक:-12 मई, 06

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज0जयपुर के पत्र दिनांक 27.4.06 एवं 9.5.06 द्वारा कस्बा सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1930/309 रकबा 6.00 हैक्टर किस्म गै.मु.बीड़ की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र दि.6.1.06 के अन्तर्गत डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउन्डेशन, मुम्बई को कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसकी पालना में आवंटन आदेश जारी किया गया है। आवंटित भूमि नक्शे में बरंग रेखांकित है। यह नक्शा आवंटन आदेश का पार्ट रहेगा। भूमि का उपयोग गर्ल्स कालेज के लिए होगा।

जिला कलक्टर, सीकर

नकल नक्शा लट्ठा खेत ग्राम कांवलिया तह० सीकर
जिला - सीकर
सन् - 1979-80
सं० 2036

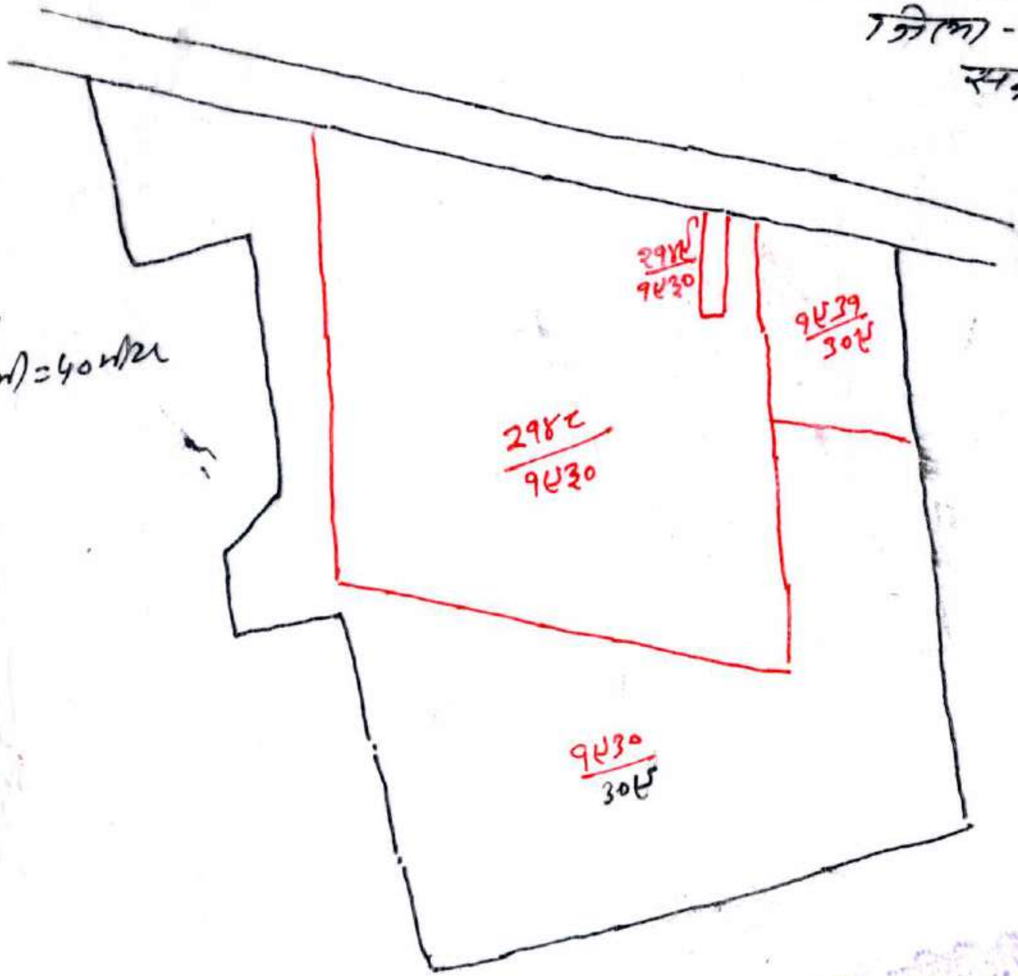

1873/29/5/02

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, SIKAR
SIKAR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2006003969		Dated	:	28/06/2006
Presenter Name	: WAHID CHOUHAN		Face Value	:	2268378
Presenter Address	: MOHLLA HUSSEAIN GANJ SIKAR				
Document Type	: Lease Deed (more than equal to 20 Years)				
Document S.No.	: 2006005257		Stamp Value	:	100

Ordinary Registration Fee	: 22690	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 147350
Translation Fee u/s 62	: 0		
Late Fee u/s 23/34	: 0		
		TOTAL	: 170240

Amount Rs. One Lakh Seventy Thousand Two Hundred Forty only

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते

Cashier

Sub Registrar, SIKAR
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रारूप–1

राजस्थान RAJASTHAN 759849

यह पट्टा विलेख आज दिनांक- 25.6.06 सन् 2006 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे आगे 'पट्टाकर्ता' कहेंगे), और जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या सन्दर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञाअभिहस्तांकिति डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउण्डेशन, मुम्बई चेयरमेन वाहिद चौहान पुत्र श्री अब्दुल गफार चौहान पता सेसील कोर्ट महाकवि भूषण रोड़ रीगल सिनेमा के पास, मुम्बई हॉल निवासी मौहल्ला हुसैनगंज, खिजरा मस्जिद के पास सीकर तहसील व जिला सीकर (जिसे आगे 'पट्टेदार' कहेंगे) और जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषया या सन्दर्भ में अपवर्जित नां हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, के मध्य किया गया है।

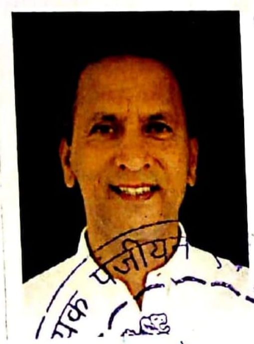

चूंकि पट्टाकर्ता नीचे बताई गयी शर्तो पर पट्टेदार को 30 वर्ष की अवधि के लिये निम्नानुसार वर्णित भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिये सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है:–

1– यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता एतद्द्वारा कथित भूमि दिनांक 19/05/2006 से 30 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता है।

2– यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है:–

(1) यह कि आवंटन, शासन उपसचिव राजस्व ग्रुप–3 विभाग, राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प–2 राज/ग्रुप–3/04 दिनांक 27/04/06 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 9/5/2006 द्वारा कस्बा सीकर स्थित भूमि खसरा नं0 1930/309 जिसके नवीन खसरा नं0 2148/1930 रकबा 6.00 हैक्टर भूमि किस्म गै0मु0 बीड़ की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6/1/2006 के अन्तर्गत डी एल सी दर 30 प्रतिशत राशि लेकर गर्ल्स कॉलेज हेतु डवलपमेन्ट एक्सीलेन्स फाउण्डेशन, मुम्बई चेयरमेन वाहिद चौहान पता सेसील कोर्ट

CHAIRMAN
DEVELOPMENT
EXCELLENCE FOUNDATION

Scanned by CamScanner

क्रमांक : 1163 दिं0 24/5/2006 डवलमेंट एक्सीलेंस फाउण्डेशन, मुम्बई चेयरमेन वाहिद चौहान एवं राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।

गौरव अरोड़ा
लाईसेंस नं. 3/2007

आज दिनांक 28 माह June सन् 2006 को 10:18 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री WAHID CHOUHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL GAFFAR CHOUHAN (राज.)
उम्र 54 वर्ष, जाति MUSLIM व्यवसाय BUS.
निवासी MOHLLA HUSSEAIN GANJ SIKAR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SIKAR
(2006005257)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

रसीद नं0 2006003969 दिनांक 28/06/2006
पंजीयन शुल्क रू0 22690/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 147350/-
कुल योग रू0 170240/-

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक
सत्यमेव जयते
सीकर (राज.)

(2006005257) उप पंजीयक, SIKAR
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

759850

महाकवि भूषण रोड़ रीगल सिनेमा के पास, मुम्बई हॉल निवासी मोहल्ला हुसैनगंज, खिजरा मस्जिद के पास सीकर तहसील व जिला सीकर को आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी अनुपालना में जिला कलक्टर महोदय सीकर के आदेश क्रमांक 1963–71 / राजस्व / 04 दिनांक 12 / 05 / 2006 के अनुसार कीमत 22,68,378 / –रूपये जरिये चालान संख्या–56 दिनांक 12 / 05 / 2006 द्वारा राजकोष में जमा कर आवंटित कर कब्जा दिनांक 19 / 05 / 2006 को सम्भलाया जाकर प्रदान की गयी

(2) यह कि पट्टेदारी की अवधि तीस वर्ष के लिये होगी। तीस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है, जिसके लिये आवंटित हुई थी और उसी प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हुआ तो अवधि को आगे 30 वर्षो की अवधि के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(3) यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये उसका आवंटन हुआ है, और आवंटन से एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा, जिसके लिये भूमि का आवंटन हुआ है, परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल या कॉलेज बनाने के लिये आवंटित हुई है, उसका उपयोग उक्त स्कूल या कॉलेज सम्बन्धित कृषि प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा।

CHAIRMAN
DEVELOPMENT
EXCELLENCE FOUNDATION
MUMBAI

(4) यह कि भूमि सरकार में निहित होगी परन्तु शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाने के लिये ग्राम पंचायत को आवंटित की गयी हो, वह पंचायत में निहित होगी।

(5) उक्त भूमि पर निर्मित्त भवन अथवा प्रारम्भ की गयी संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण, आवंटिती के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

क्रमांक : 1163 दिं0 24/5/2006 डवलपमेंट एक्सीलेस फाउण्डेशन मुम्बई चेयरमेन वाहिद चौहान एवं राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।

हस्ताक्षर फोटो

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-WAHID CHOUHAN/ABDUL GAFFAR CHOUHAN
Age:54, Caste-MUSLIM
Ocu.-BUS.
R/O-MOHLLA HUSSEAIN GANJ SIKAR

: WAHID CHOUHAN CHAIRMAN/.
Age:0, Caste-
Ocu.-
R/O-DEVELOPMENT EXCELLENCE FOUNDATION
MUMBAI

ने लेख्यपत्र Lease Deed (more than equal to 20 Years)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री SAZID ALI ADVOCATE
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री उम्र 40 वर्ष
जाति MUSLIM व्यवसाय ADVOCATE
निवासी W.N 5 MOHLLA IMAMGANJ SIKAR

2 श्री / श्रीमती / सुश्री AMIRUDEEN ADVOCATE
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री उम्र 39 वर्ष
जाति MUSLIM व्यवसाय ADVOCATE
निवासी MOHLLA HUSSEAIN GANJ SIKAR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2006005257)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

उप पंजीयक, SIKAR

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
सीकर (राज०) ★ उप पंजीयक एवं मुद्रांक

(6) यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की दशा में भूमि, उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे वारिस सरकार में निहित हो जायेगी।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर पट्टेदार CHAIRMAN
DEVELOPMENT
EXCELLENCE FOUNDATION
MUMBAI

जिला कलक्टर
सीकर

सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

साक्षीगण

1– (एडवोकेट)

2– (साजिद अली एडवोकेट
पुत्र श्री स्व० सैयद अली
निवासी मोहल्ला इमामगंज)
वा.नं. 5. सीकर.

मोहम्मद मसूम
एडवोकेट
सीकर
पु० मरहूम वारिस खान
नि. मोहल्ला जमींदारान
सीकर

साक्षीगण

1– प्रभारी अधिकारी
राजस्व ..., सीकर

2– एम.डी.भार्गव
(एम.डी. भार्गव)
का० स०
कलेक्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
उप पंजीयक पंजीयक एवं मुद्रांक ★ सीकर (राज०)

Scanned by CamScanner

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की मालियत रूपये 2268378 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि 147350 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 22690 कुल रूपये 170240 जरिये रसीद संख्या 2006003969 दिनांक 28/06/2006 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 147450 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2006005257) उप पंजीयक, SIKAR

(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

आज दिनांक 28/06/2006 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 489
में पृष्ठ संख्या 159 क्रम संख्या 2006004065 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1348
के पृष्ठ संख्या 56 से 61 पर
चस्पा किया गया।

(2006005257) उप पंजीयक, SIKAR

(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
सीकर (राज.)

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक सत्यमेव जयते सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

आंशिक नकल

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)
(देखिये नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम सीकर पटवार क्षेत्र सीकर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सीकर तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान सम्वत् 2061 से 2064

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एव भ-घृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत्.......... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्.......... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्.......... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्.......... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्.......... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्.......... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
589 आंशिक	615	राज. सरकार	चारागाह व अन्य सामान्य कामहेतु	1930/309	12.74	गैर मु. [illegible]		x	x	नोट- नामां. 585/31.8.04 (आदेश) के द्वारा 20.0.. 1930/309 रकबा 6.74 हे. आबादी (गैर मु. आबादी) का खाता नगर परिषद सीकर के नाम स्वीकार हुआ।						
										नोट- नामां. 837/29.5.06 (आदेश) के द्वारा 29.0.. 1930/309 रकबा 6.00 हे. में से नवीन 29.0.. 2148/1930 रकबा 5.93 हे. गैर मु. [illegible] का खाता [illegible] फाउन्डेशन मुम्बई (प्रति 309 दि. 12.5.2006) के नाम स्वीकार हुआ तथा शेष 2149/1930 रकबा 0.07 हे. गैर मु. [illegible] रहे।						

सत्य प्रतिलिपि
क्रमांक 1863 29/5/06

पटवारी
पटवार मण्डल सीकर
तहसील - सीकर